राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.4(ई)डीपीसी 2015–16/अलेसे–III/ दिनांक :

श्री ओम प्रकाश टाँक,
कनिष्ठ लेखाकार,
कार्यालय—महानिरीक्षक कारागृह,रेंज जोधपुर,
जोधपुर

विषय :— कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद पर पदोन्नति के लिये वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रेषित करने के क्रम में।
प्रसंग :— विभागीय पत्र संख्या 133 दिनांक 05.05.2016 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 73 दिनांक 13.05.2016

जैसा कि आपको विदित है अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों की समयबद्ध पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाई जाती है। पदोन्नति के लिए विचारणीय/ विस्तारित विचारणीय सीमा में आने वाले कार्मिकों से प्रतिवर्ष संतान संबंधी सूचना एवं गत सात वर्षो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण करने हेतु आपको समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। हाल ही में विभागीय पत्र संख्या 133 दिनांक 05.05.2016 एवं विभागीय विज्ञप्ति संख्या 73 दिनांक 13.05.2016 के द्वारा आपको वर्ष 2004–05, 2006–07 से 2008–09 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आदिनांक आपके द्वारा वांछित सूचना नहीं भिजवाई गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आप जानबूझकर विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हैं एवं पदोन्नति लेने के लिये इच्छुक नही हैं। वांछित सूचनाएं उपलब्ध/पूर्ण नही कराने को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से **एक सप्ताह** की अवधि में आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा यह मान लिया जावेगा की आप पदोन्नति लेने के लिये इच्छुक नही हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी तथा विभागीय निर्देशो की अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जावेगा।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)

क्रमांकः एफ.4(ई)डीपीसी 2015–16/अलेसे–III/456 दिनांक : 28-7-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिरीक्षक कारागृह, रेंज जोधपुर, जोधपुर
2. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)/डीपीसी सेल को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 78–81 दिनांक 13.05.2016 के क्रम में।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)